कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा/माध्य/संस्था/डी–2/इति. आनि./21-378/2020/Vol-II/दिनांक: 01.07.22

: : परिपत्र : :

राजस्थान सेवा नियम प्रथम खण्ड के नियम 7 (11) के अनुसार विभागाध्यक्ष वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमो के प्रयोजनार्थ राजस्थान सेवा नियम भाग –II के परिशिष्ट XIV में शामिल किया गया है । राजस्थान सेवा नियम भाग –II के परिशिष्ट XIV की सूची A में [List of Heads of Departments (Class I)] क्रम सं0 38 पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, एवं क्रम सं0 39 पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, विभागाध्यक्ष घोषित है । सूची B में [List of Heads of Departments (Other than Class I)] क्रम सं0 52 पर अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर एवं क्रम सं0 53 पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर विभागाध्यक्ष घोषित है-। राजस्थान सेवा नियम खण्ड–II के परिशिष्ट IX के आईटम संख्या (Serial No.):- 22 के अनुसार अवकाश के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियो की शक्तियां प्रदत्त है, जिसकी सुलभ संदर्भ प्रति संलग्न है।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–II के परिशिष्ट IX के आईटम संख्या 22 (ग) व (घ) में अंकित कर्मचारियो के लिये अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य समस्त प्रकार के 120 दिवस से अधिक (मातृत्व अवकाश के अलावा) अवकाश प्रकरणों को स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर और अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को परिशिष्ट IX में शक्तियां प्रदत्त है ।

उक्तानुसार तालिका में उल्लेखित आईटम संख्या 22 में उल्लेखित शक्तियों की पालना में 120 दिवस से अधिक के अवकाश प्रारंभिक शिक्षा के मामले में अतिरिक्त निदेशक (प्रा.शि.) तथा मा.शि. के कार्मिकों के मामलों में अतिरिक्त निदेशक (मा.शि.) स्वीकृत कर सकेगें।

उक्त परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजथान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान–जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
4. वितीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
5. मुख्यलेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र/समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक मुख्यालय.

(अरूण कुमार शर्मा)
स्टॉफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर